

कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ0ग0)

// विविध आदेश //

क्रमांक : 49/नेशनल लो. अ./जि.वि.से.प्रा./2026

महासमुन्द, दिनांक 07/09/2026

दिनांक 12/09/2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय, कुदुम्ब न्यायालय महासमुन्द तथा बाह्य न्यायालय महासमुन्द के लिए निम्नानुसार खण्डपीठ का गठन किया जाता है :-

जिला न्यायालय महासमुन्द

क्र. (1)	खण्ड पीठ क्र. (2)	न्यायाधीश का नाम एवं खंडपीठ (3)	सदस्यों के नाम (4)
01	1	श्रीमती अनिता डहरिया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द	श्री ओम प्रकाश साहू, अधि. मो.नम्बर 94242-19555
02	2	श्री प्रफुल्ल कुमार सोनवानी प्रधान न्यायाधीश, कुदुम्ब न्यायालय महासमुन्द	श्री हरीश चन्द्र यादव अधि. मो.नम्बर 99771-77497
03	3	सुश्री संघपुष्पा भतपहरी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	श्री ओम कुमार शुक्ला मो.नम्बर 83196-51383
04	4	श्रीमती मोनिका जायसवाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) महासमुन्द	श्री चन्द्रहास कश्यप, अधि. मो.नम्बर 94242-40441
05	5	श्री आनंद बोरकर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द	कु.संध्या साहू अधि, मो.नम्बर 98261-92733
06	6	श्रीमती चन्द्रकला देवी साहू द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द	श्री ऋषि कुमार शर्मा, अधि. मो.नम्बर 98268-10431
07	7	कुमारी चेतना ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द	श्री कै.के.पटेल, अधि. मो.नम्बर 99772-52372
08	8	श्री अरुण कुमार नोरगे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक / न्या. मजि.प्र.श्रेणी/प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड महासमुन्द	श्री जनक राम साहू अधि, मो.नम्बर 94255-21587
09	9	कुमारी पारुल साय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द	श्री रामखिलावन महोदिया अधि. मो.नम्बर 98262-09632
10	10	श्री आदित्य जैन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश महासमुन्द	श्री भरत सिंह ठाकुर अधि. मो.नम्बर 98267-26591

तहसील न्यायालय सरायपाली

स.क्र. (1)	खण्ड पीठ क्र. (2)	न्यायाधीश का नाम एवं खंडपीठ की वी.सी.लिक (3)	सदस्यों के नाम (4)
01	01	श्रीमती वंदना दीपक देवांगन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायपाली	श्री श्वेत कुमार पटेल अधि, सरायपाली मो.नम्बर 94255-29407

02	02	श्री पंकज आलोक तिकी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायपाली	श्री राम नारायण आदित्य अधि, सरायपाली मो.नम्बर 94252-30853
03	03	श्री वैभव घृतलहरे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक एवं न्या. मजि.प्र.श्रेणी सरायपाली	श्री पुष्पध्वज भोई, अधि, सरायपाली मो.नम्बर 97521-19183
04	04	कुमारी प्रगाति गुर्दे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक एवं न्या. मजि. कनिष्ठ श्रेणी सरायपाली	श्री मनमोहन बारिक अधि. सरायपाली मो.नम्बर 62608-87074

तहसील न्यायालय बसना

क्र. (1)	खण्ड पीठ क्र. (2)	न्यायाधीश का नाम एवं खंडपीठ की बीसी लिंग (3)	सदस्यों के नाम (4)
01	01	श्री मंजीत कुमार जागडे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -दो एवं न्या. मजि.प्र. श्रेणी बसना	श्री मनप्रीत सलुजा अधिवक्ता बसना मो.नम्बर 95845-40005

तहसील न्यायालय पिथौरा

क्र. (1)	खण्ड पीठ क्र. (2)	न्यायाधीश का नाम एवं खंडपीठ की बीसी लिंग (3)	सदस्यों के नाम (4)
01	01	श्री सौरभ बारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो एवं न्या. मजि.प्र.श्रेणी पिथौरा	श्री दीनबंधु नायक अधिवक्ता पिथौरा मो.नम्बर 91312-43704

तहसील न्यायालय बागबाहरा

क्र. (1)	खण्ड पीठ क्र. (2)	न्यायाधीश का नाम एवं खंडपीठ की बीसी लिंग (3)	सदस्यों के नाम (4)
01	01	श्रीमती अंकिता अग्रवाल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बागबाहरा	श्री वेद प्रकाश सिंह राजपूत अधिवक्ता बागबाहरा मो.नम्बर 74152-74375

टीप :-[1] छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के ज्ञापन क्रं. 2957 दिनांक 02.11. 2023 के पालन में पक्षकारों की भौतिकी उपस्थिति के साथ साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से हाईब्रीड लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। अतः अधिक से अधिक प्रकरण हाईब्रीड लोक अदालत से निराकरण करने का कार्य करें।

[2] कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट/व्यवहार न्यायाधीश प्रसूति अवकाश, लघुकृत अवकाश या अन्य अवकाश पर जाता है तो विशेष प्रकृति के राजीनामा मामले जैसे 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण की सुनवाई प्रधान जिला न्यायाधीश एवं श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य विभाजन आदेश के अनुसार की जावे तथा किसी खंडपीठ (न्यायालय) के रिक्त होने अथवा किन्हीं परिस्थितियों में खंडपीठ (न्यायालय) के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उक्त खण्डपीठ/न्यायालय में रखे गये प्रकरणों (दांडिक/सिविल मामलों) की सुनवाई एवं प्रकरणों का निराकरण तत्समय संबंधित न्यायालय/खण्डपीठ में प्रभावशील (दांडिक/सिविल मामलों के) प्रधान जिला न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य विभाजन आदेश के अनुसार जावे।

[3] National Lok Adalat हेतु ऊपर वर्णित एवं गठित खण्डपीठ में नामित सदस्यगण सर्वप्रथम प्रातः 10.15 बजे तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति कार्यालय में दर्ज करायेंगे पश्चात् संबंधित खण्डपीठ में सेवा प्रदान करने उपस्थित होंगे। अन्यथा की स्थिति में नामित सदस्य का नाम संबंधित खण्डपीठ से स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से सदस्य उपस्थित नहीं हो पा रहे हों तो इस आशय की सूचना दिनांक 10/09/2026 के दोपहर 02: 00 p.m. बजे तक इस कार्यालय (DLSA, महासमुन्द) को देंगे ताकि उनके स्थान पर संबंधित खण्डपीठ में किसी अन्य सदस्य को नामित किया जावे। खंडपीठ हेतु नामित अधिवक्तागण के अनुपस्थित रहने की स्थिति में पैनल अधिवक्ता हेतु तैयार सूची में से चक्रानुक्रम में उपलब्ध अन्य अधिवक्ता को उक्त खंडपीठ हेतु नामित किया जावे।

[4] प्री-लिटिगेशन के रूप में जो प्रकरण प्रस्तुत हुये हैं, उनका वितरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुसार संबंधित खंडपीठ को विधिवत निराकरण करने हेतु प्रेषित किये जाएंगे।

[5] समस्त खंडपीठ नेशनल लोक अदालत की जानकारी नेशनल लोक अदालत के दिन समय 5.00 बजे के पूर्व तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द के कार्यालय में प्रेषित हेतु संबंधित को निर्देशित कर निर्धारित प्रारूप में दी जाने वाली जानकारी की जांच स्वयं पीठासीन अधिकारी करेंगे। जानकारी समय पर न दिये जाने पर और अपूर्ण होने पर अविलंब उस खंडपीठ की सूचना माननीय अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश महोदय को प्रदान की जायेगी।

[6] प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि समस्त खंडपीठों की हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत हेतु लिंक तैयार कर जिला एवं सत्र न्यायालय के कार्यालयीन वेबसाईड पर अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करें।

[7] उक्त आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छोगो)
महासमुन्द दिनांक : 07/09/2026

क्रमांक : 1740/नेशनल लो.अ./जि.वि.से.प्रा./2026
यथाआदेश प्रतिलिपि -

- (1) माननीय सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) माननीय समस्त न्यायालय, जिला/तालुका महासमुन्द
- (3) माननीय कुटुम्ब न्यायालय, महासमुन्द
- (4) कार्यालय प्रधान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/कुटुम्ब न्यायालय, महासमुन्द की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) माननीय प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उक्त खंडपीठ को जिला एवं सत्र न्यायालय के कार्यालयीन वेबसाईड पर अपलोड करें।
- (6) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- (7) श्रीमान् अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, महासमुन्द/सरायपाली/बसना/पिथौरा/बागबाहरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (8) श्री/श्रीमती/कु. (सदस्य)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ नोटेट कराये जाने प्रेषित कि- खंडपीठ में नामित सदस्य प्रातः 10:15 a.m. बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करने उपरान्त संबंधित खण्डपीठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगे अन्यथा की स्थिति में नामित सदस्य का नाम संबंधित खण्डपीठ से स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से सदस्य उपस्थित नहीं हो पा रहे हो तो दिनांक 10/09/2026 के दोपहर 2.00 p.m. बजे तक इस आशय की सूचना कार्यालय DLSA, महासमुन्द को देंगे ताकि उनके स्थान पर संबंधित खण्डपीठ में किसी अन्य सदस्य को नामित किया जा सके।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छोगो)